

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

-::आदेश::-

क्रमांक ५५१ / दो-११-२ / २०२५

नर्मदापुरम, दिनांक २२.०४.२०२६

श्री नीरज परते, स्टेनोग्राफर न्यायालय प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पिपरिया का मात्र दिनांक २६.०४.२०२६ से ३०.०४.२०२६ तक कुल ०५ दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल १५९ दिवस का स्वत्व शेष है।

- १- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- २- अवकाश अवधि मूलभूत नियम २६ (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ०क० १७७१ / दो-११-२ / २०२५

नर्मदापुरम, दिनांक २२.०४.२०२६

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

०१. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
०२. प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं श्री नीरज परते, स्टेनोग्राफर को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
०३. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


२२/४/२६
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)